



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082020-221107
CG-DL-E-13082020-221107

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2410]	नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942
No. 2410]	NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SHRAVANA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

का. आ. 2716(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि कांडला-गोरखपुर पाईपलाइन परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन हेतु कांडला से गोरखपुर तक आई.एच.बी. प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश में पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अन्दर भूमि के भीतर पाईपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी आई.एच.बी. प्राइवेट लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
जिला : राजगढ़		राज्य : मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
नरसिंहगढ़	तुर्कीपुरा	257	00	02	48
		190	00	08	06
		172	00	00	42
		189	00	06	19
		174	00	11	08
		166	00	17	23
		175	00	04	467
		165	00	18	78
		164	00	07	50
		201	00	12	80
		203	00	03	54
		202	00	08	61
		12	00	21	67
		11	00	14	64
		8	00	01	84
		6	00	13	66
		5	00	20	54
		4	00	16	81
		1	00	05	14
नरसिंहगढ़	सेवास जागी	169	00	03	06
		168	00	00	66
		167	00	01	76
नरसिंहगढ़ गीला खेड़ी		777	00	13	18
		776	00	21	98
		771	00	24	33

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओ.आर-I/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th August, 2020

S.O. 2716(E).— Whereas, It appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Kandla to Gorakhpur in the state of Madhya Pradesh a pipeline should be laid by IHB Private Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land describe in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to competent Authority, IHB Private Limited,

SCHEDULE

District : Rajgarh		State : Madhya Pradesh			
Name of Tahsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
1	2	3	4	5	6
Narsingharh	Turkipura	257	00	02	48
		190	00	08	06
		172	00	00	42
		189	00	06	19
		174	00	11	08
		166	00	17	23
		175	00	04	467
		165	00	18	78
		164	00	07	50
		201	00	12	80
		203	00	03	54
		202	00	08	61
		12	00	21	67
		11	00	14	64
		8	00	01	84
		6	00	13	66
		5	00	20	54
		4	00	16	81

		1	00	05	14
Narsinghgarh	Sivas	169	00	03	06
		168	00	00	66
		167	00	01	76
		777	00	13	18
Narsinghgarh		776	00	21	98
Gila khedi		771	00	24	33

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.